

पत्रावली पेश हुई। कमील उपायपत्रक उपस्थित। कमील  
प्राधी ने उत्तरण नोट प्रेष करके हुए कथन किया  
कि लदी ने उक्त प्रार्थना-पत्र के मूलवाद उत्तरण  
संख्या 53/2025 श. ग. विद्वां कर लिया है। अतः  
उक्त प्रार्थना-पत्र नोट प्रेष में खारेज किया जा

अतः प्राधी द्वारा मूलवाद विद्वां किये जाने के  
उक्त उत्तरण में कोई कार्यवाही क्रम नहीं रह जाते हैं।  
अतः प्राधी का यह प्रार्थना-पत्र नोट प्रेष में खारा  
किया जाता है।

पत्रावली फैसल नुमां होकर वास्तविक दफ्तर  
भादेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर सलुम्बर  
— जिला सलुम्बर —

Note  
Kare